न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1261—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 09—09—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 441/निगरानी/2008—09.

व्याकरण वाजपेयी तनय स्व0 श्री अनन्दी प्रसाद
निवासी ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा

——— आवेदक

विरूद्ध

1— महेन्द्र कुमार पटेल
2— अमृतलाल पटेल
3— विनोद कुमार पटेल
4— रमेश कुमार पटेल
5— अशोक कुमार पटेल
पुत्रगण स्व0 श्री रामसेवक
निवासीगण ग्राम सोठा तहसील गुढ
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव , अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 2—6—2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—09—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के समक्ष आवेदकगण ने पंजीकृत विकय पत्र कमांक 1/4272 दिनांक 20.12.1996 के आधार पर भूमि सर्वे कमांक 442/1 के रकबा 50X50 वर्गफुट पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 1348/अ-6/2007—08 में सुनवाई के दौरान आवेदक ने धारा 32 के अंतर्गत आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी है कि उक्त भूखंड पर पूर्व में नामांतरण हेतु दिये गये आवेदन के संबंध में विवरण प्रस्तुत कराया जाय। जिसे तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 5.3.09 से इस आधार पर निरस्त करदिया कि धारा 32 का आवेदन प्रस्तुतकर्ता पर यह जिम्मेदारी है कि वही प्रमाणित करें । तहसीलदार के आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 307/08—09 प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 13.07.09 से निरस्त कर दिया एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 5.3.09 को उचित माना। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष निगरानी कमांक 441/2008—09 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 9.9.09 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को सही होना माना गया, इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर एवं उभय पक्ष के अधिवक्तागणों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसील न्यायालय में धारा 32 का आवेदनकर्ता आवेदक है एवं उसके द्वारा आपत्ति की गई है कि इसी भूमि के संबंध में पूर्व में नामांतरण आवेदन दिया गया था तब यह प्रमाणित करने का भार भी धारा 32 के आवेदनकर्ता पर रहेगा कि वह

जो तथ्य पता रहा है वह किन आधारों पर रही हैं इस संबंध में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 5.3.09 से लिया गया निर्णय उचित है जिसके कारण अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने तहसीलदार के अंतरिम आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 441/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 09.09.09 उचित होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर